

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-75/2020

1. अयुब

2. जब्बर

.... याचिकाकर्तागण

बनाम्

झारखण्ड राज्य

.... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री एच०के० शिकरवार, अधिवक्ता ।

राज्य के लिए: श्री पंकज कुमार, विशेष पी०पी० ।

2/14.01.2020

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एच०के० शिकरवार और श्री पंकज कुमार, राज्य के लिए विद्वान विशेष पी०पी० को सुना ।

याचिकाकर्ता, बरकट्टा थाना काण्ड संख्या 136/2019 से उद्भूत एन०डी०पी०एस० वाद संख्या 19/2019 के संबंध में एक आरोपी है ।

यह आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ताओं को एक कार से पकड़ा गया और गाड़ी के अन्दर से 31.35 कि०ग्रा० गांजा बरामद किया ।

याचिकाकर्ता दिनांक 04.08.2019 से अभिरक्षा में है ।

अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नामित याचिकाकर्ता को 10,000/— (दस हजार) रूपये के बंधपत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान प्रधान न्यायाधीश, हजारीबाग के संतुष्टि पर, बरकट्ठा थाना काण्ड संख्या 136/2019 से उद्भूत एन0डी0पी0एस0 वाद संख्यचा 19/2019 में जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(आर0 मुखोपाध्याय, न्याया0)